बिहार विधान परिषद

(201वां मानसून सत्र)

29 जून 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 38

सडक की मरम्मत

*61 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर नगर के मुजफ्फरपुर रोड में अनुमंडल चौक से ऑफिसर कॉलनी होते हुए एन.एच.- 104 को जोड़ने वाली पी.सी.सी. सड़क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होकर खतरनाक हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के टूट जाने एवं जगह-जगह बड़े गड्ढे बन जाने के कारण चार पहिया वाहन को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

प्रधानों को निदेश

*62 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में शिक्षकों / वैज्ञानिकों के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके सेवा-काल में ससमय देय प्रोन्नति का लाभ नहीं दिये जाने से उनके द्वारा कार्य-निष्पादन में उदासीनता का भाव आता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी विभागों में ससमय प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने हेतु विभागीय प्रधानों को निदेश देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

***63 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड की बसौली पंचायत के सुगौना श्मशान की भूमि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के आलोक में द्वितीय अपील आदेश पारित होने की समय सीमा बीत जाने के बावजूद अंचल अधिकारी रहिका के द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं करवाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि दर्जनों व्यक्तियों द्वारा श्मशान की भूमि कब्जा कर रखा गया है, इसके कारण श्मशान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि अतिक्रमण खाली नहीं होने के कारण भारी जनाक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुगौना के श्मशान की भूमि को बचाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्य को संपादित

***64 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के भूमि क्रेताओं द्वारा दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन को सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि तक कार्य को संपादित नहीं किया जाता है और बिना ठोस कारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला- बेगूसराय, प्रखंड- बछवाड़ा, वित्तीय वर्ष- 2021-22,

केस नं.- 125, आवेदन की तिथि- 09 जून 2021, कर्मचारी द्वारा वेरीफाई करने की तिथि- 03 सितंबर 2021, सर्किल इंस्पेक्टर (सी.आई.) द्वारा वेरीफाई करने की तिथि- 05 सितंबर 2021 है, आवेदन के एक वर्ष बाद भी ऑनलाइन स्टेटस पेंडिंग एट सी.ओ. दिखाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाना चाहती है और आवेदन को कबतक संपादित किया जाएगा, यदि हां तो कबतक?

पोलिंग में भाग

***65 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार की राजधानी पटना ने 10 लाख की आबादी से ऊपर वाले शहरों की सूची में 44वां स्थान प्राप्त किया है, इस श्रेणी में पटना को बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में बिहार की 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी काफी पीछे है, लगभग प्रदेश के सभी बड़े Urban Local Bodies (यूएलबी) 200 रैंक के बाद है, इस श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश के अन्य यूएलबी की सफाई हेतु सरकार के पास क्या योजना है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी यूएलबी की सफाई हेतु सरकार के द्वारा पिछले तथा वर्तमान के बजट में क्या प्रावधान है तथा कितनी राशि खर्च की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो साफ-सफाई के लिए तथा स्वच्छता पर हुई पोलिंग में भाग लेने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

जमीन वितरित

***66 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में भूदान यज्ञ से मिली जमीन 6 लाख 48 हजार 593 में से अबतक मात्र 2 लाख 56 हजार 658 एकड़ जमीन वितरित की जा सकी है, यदि हां तो

शेष जमीन 3 लाख 91 हजार 935 एकड़ का वितरण भूमिहीनों के बीच में सरकार कबतक करायेगी?

अतिक्रमण से मुक्त

***67 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद में फिदा हुसैन मोड़ से फिदा हुसैन मेन रोड मलहचक तक की सड़क जाम के कारण अस्त-व्यस्त रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि मेन रोड से मोहल्ला विषुणगंज, रामनगर रेलवे लाईन होते हुए मलहचक तक अलगन्ना पईन पर भारी अतिक्रमण रहने के कारण उक्त सड़क में हमेशा जाम एवं पानी निकासी की समस्या बनी रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि अलगन्ना पईन पर नगर परिषद् जहानाबाद द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया है जो अनुचित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फिदा हुसैन रोड से मलहचक नाले पर के अतिक्रमण को कबतक मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमाबंदी कबतक

***68 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री ब्रजनंदन साह, श्री शिवनंदन प्रसाद तथा श्री ध्रुव प्रसाद ने वाद सं.- 96073/21-22, 96076/21-22 एवं 96079/21-22 के द्वारा जमाबंदी हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक- 21.08.2021 के द्वारा किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि मौजा तलखापुर, राजस्व थाना- डुमरा, जिला- सीतामढ़ी, खाता सं.- 815, प्लॉट नं.- 740, रकबा- 16 डिसमिल के उक्त आवेदन पर अंचलाधिकारी, डुमरा ने मात्र वाद सं.- 96076/21-22 श्री शिवनंदन प्रसाद का जमाबंदी किया है, शेष दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया है, आजतक जमाबंदी नहीं किया;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाएगी कि इसका

क्या औचित्य है तथा शेष दोनों व्यक्तियों की जमाबंदी कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

***69 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि आरा नगर निगम NIT संख्या- 01/अभि 2020-21 कुल राशि 4471800 की निकासी, बिना कार्य कराये, की गई है, NIT सं- 03/अभि 2020-21 क्रम संख्या- 88, वार्ड संख्या- 33 कुल राशि 1416400 की निकासी एवं NIT सं 03/अभि 2020-21 क्रम संख्या- 89, वार्ड संख्या- 33 कुल राशि 1894100 की राशि बिना कार्य कराये निकाल ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर निगम NIT संख्या 06/अभि 218-19 क्रम संख्या- 101, वार्ड संख्या- 02 कुल राशि 2241862 की निकासी, NIT संख्या- 02/अभि 2020-21 क्रम संख्या- 38, वार्ड संख्या- 16 कुल राशि 2496000 की निकासी महापौर और नगर आयुक्त की मिलीभगत से बिना कार्य कराये सारी राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

योजना से लाभान्वित

***70 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सुयोग्य श्रेणी के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न मुहैया कराना प्रावधानित है, जो एक सराहनीय कदम है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में भी बहुत से गरीब परिवार योजना के लाभ से अबतक वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंचित परिवारों को उक्त योजना अन्तर्गत लाभान्वित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटकीय स्थल विकसित

*71 **श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के रख-रखाव एवं देखभाल में घोर अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के सौंदर्यीकरण एवं उन्हें पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मामलों का निष्पादन

*72 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कई नगर निकायों यथा कटिहार, नौबतपुर, मैरवा, निर्मली, एकमा बाजार, रक्सौल, मधुबनी आदि में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 45 सौ से अधिक कार्यादेश लंबित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद पात्र लाभुकों को कार्यादेश न तो निर्गत किया गया और न ही अपात्र लाभुकों की राशि प्रत्यर्पित की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने अबतक इस संबंध में क्या कार्रवाई की है तथा प्रधानमंत्री आवास के लंबित मामलों का निष्पादन सरकार कबतक करेगी?

जमीनों का निबंधन

*73 **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के गया शहर के वार्ड नं.- 30 में बिहार राज्य आवास बोर्ड की शहीद भगत सिंह कॉलोनी, मुस्तफाबाद में दखल-कब्जा इकरारनामा मिलने के बाद 80% लोगों ने अपना आवास बना लिया है, परन्तु उनकी जमीनों का

निबंधन नहीं हुआ है;

(ख) यदि खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीनों का निबंधन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ऑनलाइन कबतक

***74 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के सम्पतचक प्रखण्ड के मौजा- सोना गोपालपुर, थाना संख्या- 124 पुराना जमाबंदी नं.- 2004 के दाखिल-खारिज वाद संख्या- 963/3 17-18, जो श्रीमती विभा पाठक के द्वारा RTPS 4703 दायर किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि न्यायालय अंचल अधिकारी संपतचक, पटना द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें दाखिल-खारिज के बाद नया जमाबंदी का नाम श्रीमती विभा पाठक खाता संख्या- 91, खेसरा नं.- 73, रकवा- 900 sq feet है, लेकिन अभीतक अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन नहीं होने के कारण रसीद नहीं कट रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक श्रीमती विभा पाठक का नाम ऑनलाइन करना चाहती है?

नाले का निर्माण

***75 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय के न्यू कॉलोनी, सड़ाही, गांधीपथ, कृष्णानगर, कचहरी रोड, कुंवर टोला, विद्यापति नगर, फकीर टोला, वीर कुंवर सिंह हाई स्कूल रोड, मीर टोला मुहल्ला में बरसात के दिनों में तीन महीने तक जल-जमाव की समस्या बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मुहल्ले में जल-जमाव के कारण स्कूली बच्चों एवं आमलोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्र को जलजमाव से निजात दिलाने हेतु नाले का निर्माण और अन्य आवश्यक कदम उठाना

चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*76 **श्रीमती रोजीना नाजिश (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड के सोनरे गांव में अवस्थित सरकारी पोखर का रकबा 2 बीघा 12 कट्ठा है परंतु इसके मोहार को कटाव से बचाने एवं जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण तालाब का अस्तित्व संकट में है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अंधरा ठाढी प्रखंड के ननौर पंचायत के रतुपार गांव में अवस्थित पुरनी पोखर सरकारी तालाब है, परंतु लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण के कारण तालाब का आकार एकदम छोटा हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उपर्युक्त दोनों सरकारी तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने, मोहार को सशक्त बनाने और संरक्षण हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों तालाबों के संरक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश एवं संसाधन उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

यातायात सुविधा

*77 **श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सिवान नगर परिषद् के हरदिया मोड़ से चीनी मील होते हुए सड़क बराबर जाम रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क पर अवैध अतिक्रमण होने से इशबायल शाहिद चमार मंडी मोड़ सड़क टर्निंग प्वाइंट पर अतिक्रमण होने से बहुत लम्बा जाम लग जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क अतिक्रमित होने के कारण मीलों लम्बा जाम लगने से यातायात और वाहन चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाकर जनता को राहत दिलाने एवं यातायात सुविधा

उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*78 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजकीय मध्य विद्यालय गंगोई महुली, इसुआपुर (सारण) खाता नं.- 90 के सर्वे नं.- 401, 402 एवं 403 में स्थित है;

(ख) क्या इसकी खाली जमीन की अवैध जमाबंदी कराकर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध जमाबंदी को रद्द करते हुए अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राशन कार्ड

*79 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे लोगों के भी सब्सिडाइज राशन की सूची में नाम अंकित हैं जिनको इसकी पात्रता नहीं है, और सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को निर्देश दिया गया है कि वह अपना राशन कार्ड सरेंडर करें;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस सब्सिडाइज राशन की जरूरत है लेकिन राशन कार्ड सूची में उनका नाम अंकित नहीं है तथा राशन कार्ड में ऐसे लाभुकों का नाम लगातार जोड़े जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सही है कि राशन कार्ड की प्रक्रिया लगातार हो सकती है जिससे कि जिन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है वो इसका लाभ उठा सकें और जिन लोगों को इसकी पात्रता नहीं है वो अपना कार्ड सरेन्डर कर सकें या जांच के उपरांत उनका नाम निकाला जा सके ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशन कार्ड में लाभुकों का नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लगातार चलने वाली प्रक्रिया बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

चहुंमुखी विकास

*80 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला में नारदीगंज से बदलू बिगहा सड़क के किनारे धनियामा पहाड़ी एक महत्वपूर्ण पर्यटन एवं तीर्थस्थल है, परन्तु आधारभूत संरचना के अभाव के कारण पर्यटकों को काफी परेशानी होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पर्यटन स्थल के चहुंमुखी विकास हेतु योजना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सेवा में गणना

*81 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (c) Dairy संख्या-15567/2018 एवं अन्य तथा इससे उद्भूत अवमानना बाद में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न निगमों से राज्य सरकार के अधीन समायोजित कर्मियों को झारखंड समरूप कोटि के कर्मियों को किए गए भुगतान के समरूप ही भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं.- 631, दिनांक- 29.01.2022 के द्वारा राज्य सरकार में समायोजित कर्मियों का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम में समायोजित निगम कर्मियों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं बिहार सरकार के बिहार लिटिगेशन पॉलिसी- 2011 के आलोक में निगम कर्मियों की सेवा में गणना करते हुए सभी प्रकार के लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिव शंभू नगर

*82 **श्री मो. कमर आलम (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजा बाजार, पटना स्थित आशियाना-दीघा रोड में शिव शंभू नगर की स्थापना हुये लगभग 40 वर्ष हो गये हैं और वर्तमान में लगभग 400 (चार सौ) परिवार इस मुहल्ले में रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि आशियाना-दीघा रोड पर "शिव शंभू नगर" नाम का संकेतक (बोर्ड) नहीं होने से स्थानीय एवं बाहर से आने वाले आगंतुकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आशियाना-दीघा रोड पर अन्य स्थलों के साथ शिव शंभू नगर के पास "शिव शंभू नगर" के नाम का संकेतक लगाने की कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक?

पेयजल एवं शौचालय का निर्माण

*83 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि इतनी भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को धूप और बरसात से बचने के लिए विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया के प्रांगण और परिसर में शेड का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि मंदिर परिसर के बाहर पेयजल की एकमात्र व्यवस्था रहने के कारण श्रद्धालुओं को पानी लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विष्णुपद मंदिर गया के प्रांगण और परिसर में शेड का निर्माण तथा शुद्ध पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

जमीन की रसीद कबतक

*84 **श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा प्रखण्ड में पुनर्वास बस्ती में नीतीश नगर, रहमान नगर का पुनर्वास कब किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि स्थापितों को पुनर्वास की जमीन की रसीद कई लोगों को अभीतक नहीं मिली है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे लोगों को जमीन की रसीद कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारी का पदस्थापन

*85 **श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **सूचना एवं जनसम्पर्क** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में जन संपर्क पदाधिकारी का पद वर्षों से रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि शिवहर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिवहर जिला में जन संपर्क पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

सडक एवं नाला का निर्माण

*86 **श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत सम्पतचक नगर परिषद् के वार्ड सं.- 4 गोलकीमोड़, खेमनीचक के पूरब रोड नं.- 2 रवि गुप्ता के मकान से संजय सिंह के मकान होते हुए अंतिम में सिंह जी के मकान तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित सड़क पर पिछले वर्ष पानी जमा हो जाने के कारण मुहल्लावासियों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खण्ड 'क' में वर्णित सड़क का

पी.सी.सी. ढलाई नाला सहित निर्माण सरकार इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

कार्यपालक सहायकों की सेवा

***87 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यपालक सहायकों की सेवा सात वर्षों तक ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के पत्रांक- 2251, दिनांक- 28.11.2020 के द्वारा कार्यपालक सहायकों को जिला पैनल में वापस भेज दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला पदाधिकारी, स्थापना शाखा, के पत्रांक- 14, दिनांक- 08.01.2021 को उक्त कार्यपालक सहायकों की सूची बनाकर पंचायती राज विभाग में समाहित हेतु भेजा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पत्रांक के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सूची के अनुसार पंचायती राज विभाग में समाहित कर सेवा लेना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समिति गठित

***88 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या- 02/2022 के आलोक में दिनांक- 31 मई 2022 को उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के निमित्त आयोजित परीक्षा में पूछे गये प्रश्न आपत्तिजनक एवं त्रुटिपूर्ण भी हैं, जिसके कारण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है;

(ख) क्या यह भी सही है कि परीक्षा प्रपत्र भरे जाने की अंतिम तिथि तथा परीक्षा आयोजन की तिथि दिनांक- 31 मई 2022 के बीच परीक्षार्थियों को मात्र एक महीने का ही समय दिया गया, जो सही नहीं है;

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु गठित विभागीय सेवाशर्त

नियमावली- 2021 के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में कई वाद दायर किए गए हैं जिसकी सूचना बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी प्रसारित की गई है, बावजूद इसके परीक्षा आयोजित किये जाने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई;

(घ) क्या यह भी सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में गलत उत्तर दिये जाने पर दंड स्वरूप 0.25 अंक काटे जाने का प्रावधान नहीं है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले अध्यापकों की योग्यता एवं पात्रता के साथ-साथ भेद-भावपूर्ण परीक्षा आयोजित किये जाने के संदर्भ में शिक्षाविदों की समिति गठित कर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया की जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निष्पादन अतिशीघ्र

*89 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि ई. कम्पलायन्स डैशबोर्ड पर अपलोड आई.डी.सं.- 2021043905 के रूप में अपलोड परिवाद की विषयवस्तु प्रभारी जिला अधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी के पास लगभग पांच महीनों से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि इस परिवाद के द्वारा दाखिल-खारिज, अतिक्रमण एवं भूमि विवाद समस्याओं के समाधान का ससमय निष्पादन किए जाने से संबंधित है और किन परिस्थितियों में यह परिवाद लगभग पांच महीनों से लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ई. कम्पलायन्स डैशबोर्ड पर अपलोड आई.डी.सं.- 2021043905 का निष्पादन अतिशीघ्र कराने हेतु क्या कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

होल्डिंग टैक्स

*90 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के पास विगत कई सालों से लगभग 04 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि आरा नगर निगम के होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायदारों में जिला शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय तथा पथ परिवहन विभाग शामिल है;

(ग) क्या यह सही है कि इनमें से कई विभागों के पास वर्ष- 1986-87 से ही होल्डिंग टैक्स बकाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित बड़े बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आवेदन का निष्पादन

*91 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी अंचलों में अधिकारियों के द्वारा नागरिक महत्व के भूमि संबंधित आठ विषयों की जांच की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जांच के क्रम में म्यूटेशन के एक करोड़ बीस लाख तथा परिमार्जन संबंधित साठ लाख आवेदन निष्पादन हेतु लंबित पाये गये हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त लंबित आवेदनों का निष्पादन करायेगी?

नगर निगम द्वारा कार्रवाई

*92 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना सुल्तानगंज थाना के निकट महेन्द्रू टिकिया टोली काली स्थान निकट क्षेत्र में पागल कुत्तों ने बाईस लोगों को काट कर जख्मी कर दिया है, जिनमें कई लोगों की मौत भी हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम को सूचित किया गया परन्तु कुत्ते को पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इस तरह आए दिन पागल कुत्तों के शिकार लोग हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम द्वारा कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

समस्या से निदान

*93 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के चलते कटिहार शहर में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि जल-जमाव के चलते शहर के निवासियों के साथ-साथ आने-जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरसात के पहले जल-जमाव की समस्या के निदान के लिए ठोस प्रयास का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जल निकासी कबतक

*94 **श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में आर.एस.मार्केट बाजार थोड़ी-सी बारिश में पूरा जलमग्न हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि बाजार जलमग्न होने पर आसपास के इलाके की स्थिति नारकीय हो जाती है और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इलाके में रहने वाले लोगों एवं दुकानदारों का जीना दुभर हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में आर.एस.मार्केट बाजार में जल निकासी के लिए कोई योजना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जन-वितरण प्रणाली

*95 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के प्रखण्ड- रतनी फरीदपुर, पंचायत- पंडौल के ग्राम- अईरा के निवासी स्व. मिथिलेश कुमार, पिता- रामएकबाल शर्मा की मृत्यु 2021 के अप्रैल में कोरोना से हो गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि स्व. मिथिलेश कुमार के नाम से एक जन-वितरण प्रणाली केन्द्र का लाईसेन्स था;

(ग) क्या यह सही है कि स्व. मिथिलेश कुमार के परिवार के भरण-पोषण हेतु यह जन-वितरण प्रणाली केन्द्र एकमात्र साधन था;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्व. मिथिलेश कुमार के पुत्र श्री अभिजीत नारायण को उक्त जन-वितरण प्रणाली केन्द्र के लाईसेन्स का हस्तांतरण करना चाहती है ताकि स्व. मिथिलेश कुमार के परिवार का भरण-पोषण हो सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*96 **श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक वर्ष 2021 में उचित यातायात के लिए अटल पथ का निर्माण किया गया, पर यहां आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की वजह से दुर्घटना होती है, तथा कई लोगों को अभी तक जान गवानी पड़ी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार के पास अटल पथ निर्माण के बाद, इस पथ के सर्विस लेन में शहर के कई प्रमुख चौराहों पर जहां से यह सड़क गुजरती है, अतिक्रमण की वजह से हमेशा जाम की स्थिति उन स्थानों पर बनी रहती है तथा राहगीरों को काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है, इससे निजात पाने के लिए कोई योजना है, नहीं तो क्यों?

नीतिगत निर्णय

*97 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत की संख्या बढ़ी है, यह संख्या 142 से अधिक हो चुकी है लेकिन इन नगरों से कचरा / मलबा / प्लास्टिक के निस्तारण की कोई ठोस नीति नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे कचरों के संग्रहण और उनके पुनर्चक्रण के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है, नगर निकायों पर कचरों के उचित संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए कोई बाध्यता नहीं है जबकि इनका प्रभावी प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन को रोक सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि बिल्डिंग मेटीरियल के मलबे से सड़क निर्माण, गीले कचरे से खाद बनाने का काम और प्लास्टिक कचरे से बिजली उत्पादन का काम किया जा सकता है और देश के कई राज्यों में यह किया भी जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 29 मार्च 2016 की अधिसूचना में देश के शहरी इलाकों में ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े नियामकीय ढांचे का उल्लेख है लेकिन बिहार के नगर निकायों में इसके कार्यान्वयन में बहुत शिथिलता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर निकायों में ठोस कचरे विशेषकर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण एवं प्रबंधन के लिए क्या नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है?

पार्क का सौन्दर्यीकरण

*98 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया-पटना सड़क मार्ग स्थित कंडी गांव के पास गया नगर निगम, गया के द्वारा केन्द्र सरकार की अटल फॉर रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) के तहत चिल्ड्रेन पार्क बनाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उस पार्क का निर्माण तो हो गया है लेकिन उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं किया गया है, न ही फूल-पत्ती, पेड-पौधे लगाये गये हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चिल्ड्रेन पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?